

इसे वेबसाइट [www.govtprint.nic.in](http://www.govtprint.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 जुलाई 2023—आषाढ़ 23, शक 1945

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

मेरे आधार कार्ड में गलती से मेरा नाम सज्जन बाई लिखा गया है, जिसे परिवर्तित कर रजनी बाई RAJNI BAI करवाना है। भविष्य में मुझे रजनी बाई RAJNI BAI के नाम से जाना—पहचाना जाए।

पुराना नाम  
(सज्जन बाई)

(G-1298)

नया नाम  
(रजनी बाई)

RAJNI BAI  
पति—लखन लाल,  
निवासी—म.नं. 20, नाई वाली गली,  
सेंट माईकल स्कूल के पास, इब्राहीमपुरा,  
हुजूर, भोपाल (म.प्र.).

#### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, धीरेन्द्र चतुर्वेदी तनय श्री एच.एम. चतुर्वेदी, निवासी—वार्ड नं. 16, पी.के. स्कूल के पीछे, अनुपम नर्सिंग होम के पास, रीवा मेरी पुत्री का नाम शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में पाखी चतुर्वेदी लिखा है। अब मैं, अपनी पुत्री का नाम पाखी चतुर्वेदी के स्थान पर दीरा चतुर्वेदी लिखाना चाहता हूँ। अतः समस्त शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में मेरी पुत्री का नाम दीरा चतुर्वेदी लिखा व पढ़ा जाए।

(G-1299)

प्रार्थी,  
(धीरेन्द्र चतुर्वेदी)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित हो कि मैं, उमा शंकर आ. श्री डिल्ला प्रसाद, निवासी—मकान नंबर ए—272, स्वामी विवेकानंद परिसर, कटारा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) पूर्व में उमाशंकर अहिरवार उर्फ उमाशंकर डिल्ला प्रसाद अहिरवार के नाम से जाना जाता था, जिसे परिवर्तित करते हुए मैंने, अपना नाम उमा शंकर आत्मज श्री डिल्ला प्रसाद कर लिया है, जो सही एवं सत्य है। अतः भविष्य में भी मुझे “उमा शंकर आत्मज श्री डिल्ला प्रसाद” के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे।

(उमा शंकर आत्मज श्री डिल्ला प्रसाद)

(G-1300)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित हो कि मैं, श्रीमती सरला पत्नी श्री उमा शंकर, निवासी—मकान नंबर ए—272, स्वामी विवेकानंद परिसर, कटारा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) पूर्व में चम्पाकली उमाशंकर अहिरवार, सरला उर्फ चम्पाकली अहिरवार एवं सरला अहिरवार पत्नी श्री उमाशंकर अहिरवार नाम से जानी जाती थी, जिसे परिवर्तित करते हुए मैंने, अपना नाम श्रीमती सरला पत्नी श्री उमा शंकर कर लिया है, जो सही एवं सत्य है। अतः भविष्य में भी मुझे “श्रीमती सरला पत्नी श्री उमा शंकर” के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे।

(श्रीमती सरला पत्नी श्री उमा शंकर)

(G-1301)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी कक्षा 10वीं व 12वीं की अंकसूची में मेरा नाम A JATIN JAI दर्ज है, जबकि मेरा पूरा व सही नाम ANUSURI JATIN JAI दर्ज है, जो मेरे जन्म प्रमाण—पत्र, आधार कार्ड, पैनकार्ड, में दर्ज है, जो कि सत्य व सही है। मुझे भविष्य में ANUSURI JATIN JAI के नाम से ही जाना—पहचाना, पुकारा एवं लिखा व पढ़ा जावे।

पुराना नाम

**(A JATIN JAI)**

नया नाम

**(ANUSURI JATIN JAI)**

निवासी—बी—एम 236, दीनदयाल नगर,

ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1302)

### जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स स्नेह डेवलपर्स, पता—263, दवा बाजार, प्रथम मंजिल, 13—14, आर. एन. टी. मार्ग, इन्दौर (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक 03/27/01/00245/11, दिनांक 28—03—2011 है, जिसमें दिनांक 05—08—2012 को (1) श्री शैलेन्द्र पोरवाल पिता श्री रामगोपाल पोरवाल, पता—23, इन्दिरा गाँधी नगर, केशर बाग रोड, इन्दौर, तहसील इन्दौर (म.प्र.), (2) श्री राम स्वरूप पोरवाल पिता श्री रामगोपाल पोरवाल, पता—22, इन्दिरा गाँधी नगर, केशर बाग रोड, इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर (म.प्र.), (3) श्री आशुतोष झांवर पिता श्री गोविन्द जी झांवर, पता—1/1, न्यू पलासिया, इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर (म.प्र.), (4) श्रीमती उर्मिला देवी धनोतिया पति श्री पुष्पेन्द्र जी धनोतिया, पता—48/2, छत्री बाग, राजस्व ग्राम, इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर (म.प्र.), (5) श्री प्रदीप कुमार धनोतिया पिता श्री शिव कुमार जी धनोतिया, पता—13, छत्री बाग, राजस्व ग्राम, इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर (म.प्र.) का नये भागीदारों के रूप में फर्म मेसर्स स्नेह डेवलपर्स, पता—263, दवा बाजार, प्रथम मंजिल, 13—14, आर. एन. टी. मार्ग, इन्दौर (म.प्र.) में प्रवेश हुआ है।

तथा जिसमें दिनांक 05—08—2012 को (1) श्रीमती ममता गुप्ता पति श्री कमल जी गुप्ता, पता—34, नृसिंह बाजार, इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म मेसर्स स्नेह डेवलपर्स, पता—263, दवा बाजार, प्रथम मंजिल, 13—14, आर. एन. टी. मार्ग, इन्दौर (म.प्र.) से पृथक हो गये हैं। उक्त दिनांक 05—08—2012 से इस फर्म मेसर्स स्नेह डेवलपर्स, पता—263, दवा बाजार, प्रथम मंजिल, 13—14, आर. एन. टी. मार्ग, इन्दौर (म.प्र.) से पार्टनर (भागीदार) का कोई लेना—देना नहीं है।

जिसमें दिनांक 31-05-2017 को (1) श्रीमती ममता गुप्ता पति श्री कमल जी गुप्ता, पता-31-32, नृसिंह बाजार, इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर (म.प्र.), (2) श्रीमती अनुसुईया पोरवाल पति श्री अजीत जी पोरवाल, पता-167, शिवाजी पार्क कॉलोनी, उज्जैन, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.), (3) श्री अनुजीत पोरवाल पिता श्री अजीत जी पोरवाल, पता-167, शिवाजी पार्क कॉलोनी, उज्जैन, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.), (4) श्री अभिषेक जुल्का पिता श्री संतोषराज जी जुल्का, पता-28, शीतल नगर, इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर (म.प्र.) का नये भागीदारों के रूप में फर्म मेसर्स स्नेह डेवलपर्स, पता-263, दवा बाजार, प्रथम मंजिल, 13-14, आर. एन. टी. मार्ग, इन्दौर (म.प्र.) में प्रवेश हुआ है।

तथा जिसमें दिनांक 28-06-2023 फर्म का पता-263, दवा बाजार, प्रथम मंजिल, 13-14, आर. एन. टी. मार्ग, इन्दौर (म.प्र.) के स्थान पर नवीन पता—Office No. 01, 128, Shri Dravid Nagar, Ranjit Hanuman Road Back Side, Indore (M.P.) हो गया है। वर्तमान में इस फर्म का पता—Office No. 01, 128, Shri Dravid Nagar, Ranjit Hanuman Road Back Side, Indore (M.P.) से कार्यरत रहेगी।

वर्तमान में इस फर्म मेसर्स स्नेह डेवलपर्स में निम्न भागीदार रह गये हैं।

- (1) संतोष कुमार धींग
- (2) शैलेन्द्र पोरवाल
- (3) राम स्वरूप पोरवाल
- (4) आशुतोष झंवर
- (5) उर्मिला देवी धनोतिया
- (6) प्रदीप कुमार धनोतिया
- (7) ममता गुप्ता
- (8) अनुसुईया पोरवाल
- (9) अनुजीत पोरवाल
- (10) अभिषेक जुल्का

(G-1303)

For Sneh Developers,

संतोष कुमार धींग,

Partner.

### कार्यालय, कटनी विकास प्राधिकरण, कटनी, मध्यप्रदेश

क्र. 425-के.डी.ए.-2023

कटनी, दिनांक 15 जून 2023

प्रारूप—सत्रह (क)

[ नियम 19(4) देखिए ]

[ धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन नगर विकास स्कीम को प्रत्याहृत करने हेतु सूचना ]

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम झिंझरी एवं कछगवाँ हेतु कटनी विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई नगर विकास स्कीम क्रमांक TPS-01/KTE/2022 के प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

अतएव, धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन ज्ञाप क्रमांक 320, 323 एवं 327 दिनांक 04-10-2022 द्वारा प्रकाशित उपरोक्त स्कीम संबंधी आशय को कटनी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रत्याहृत किया जाता है।

प्रशांत श्रीवास्तव, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी।

(G-1304)

### नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम SISTERLINDA JARJ पुत्री KANIAMPURAM MATHEW GEORGE था, जो कि परिवर्तित कर नया नाम LINDA GEORGE पुत्री KANIAMPURAM MATHEW GEORGE निवासी—MARIAM SOCIETY ASHA NIKETAN, E-6, ARERA COLONY, BHOPAL (M.P.) हो गया है। भविष्य में मुझे मेरे नये नाम से जाना व पहचाना जाए।

पुराना नाम	नया नाम
(SISTERLINDA JARJ)	(LINDA GEORGE)
	पुत्री—KANIAMPURAM MATHEW GEORGE
(G-1305)	

### नाम परिवर्तन

मैं, डॉक्टर अनिल प्रसाद गुप्ता (Anil Prasad Gupta) आत्मज बासुदेव प्रसाद साह (Basudeo Prasad Sah) सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे सभी शैक्षणिक प्रपत्रों में उल्लेखित नाम Anil Prasad Sah S/o Basudeo Prasad Sah था, जिसे मैंने परिवर्तित कर अनिल प्रसाद गुप्ता कर दिया था, जो कि मेरे सभी शासकीय / अद्वशासकीय प्रपत्रों में उल्लेखित है प्रकाशन के उपरांत भविष्य में मुझे मैं, अनिल प्रसाद गुप्ता (Anil Prasad Gupta) के नाम से पढ़ा—लिखा, जाना—पहचाना एवं पुकारा जाए।

पुराना नाम	नया नाम
(अनिल प्रसाद साह)	(अनिल प्रसाद गुप्ता)
(Anil Prasad Sah)	(Anil Prasad Gupta)
	आत्मज—बासुदेव प्रसाद साह
	(Basudeo Prasad Sah),
(G-1306)	Quarter No. C/6, 09 No. Colony, Umaria (M.P.).

### CHANGE OF NAME

I, Sureshbhai Patel S/o Chaturbhai Patel in all my Government/Semi-Government documents my name is mentioned as Sureshbhai Patel S/o Chaturbhai Patel. As per my Educational Certificate the name mentioned is Sanabhai Patel S/o Chaturbhai Patel which was my nick name at home and this it is mentioned in my share Certificates as well in (Golden International Ltd.). Sureshbhai Patel S/o Chaturbhai Patel and Sanabhai Patel S/o Chaturbhai Patel both names are of the same individual that is myself after this Gazette notification I should known, called and written as Sureshbhai Patel S/o Chaturbhai Patel.

Old Name	New Name
(Sanabhai Patel)	(Sureshbhai Patel)
S/o Chaturbhai Patel	S/o Chaturbhai Patel,
(G-1307)	Nadi Par, Ram Manohar lohiya, Murwara, Katni (M.P.).

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया आता है कि मेरा नाम इस्लाम खान पुत्र मुहिद खान है, जो मेरे सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में दर्ज है. लिपिक त्रुटि से मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम कल्लू आत्मज अनीस खान दर्ज हो गया है, जो की गलत है. इस विज्ञप्ति के उपरांत मुझे अपने सही नाम इस्लाम खान पुत्र मुहिद खान से जाना—पहचाना एवं पुकारा जावे.

पुराना नाम (कल्लू)	नया नाम (इस्लाम खान)
आत्मज—अनीस खान	पुत्र—मुहिद खान, 160, मेहदा, ग्राम मेहदा, तहसील रोन, जिला भिण्ड (म.प्र.).
(G-1308)	

### नाम परिवर्तन

मैं, दीक्षा शर्मा (DIKSHA SHARMA) पुत्री उमेश शर्मा सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे घर का बोलता नाम शिल्पी शर्मा (SHILPI SHARMA) था, जो मेरी UTI MUTUAL FUND के शेयरों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, जबकि मैं वर्तमान में, दीक्षा शर्मा पुत्री उमेश शर्मा के नाम से जानी—पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ, जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण—पत्र, बैंक खाता इत्यादि में लिखा है और भविष्य में भी मैं, दीक्षा शर्मा के नाम से ही जानी—पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी तथा हस्ताक्षर करती रहूँगी. दीक्षा शर्मा एवं शिल्पी शर्मा दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरी UTI MUTUAL FUND के शेयरों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम शिल्पी शर्मा के स्थान पर दीक्षा शर्मा लिखा एवं पढ़ा जाये.

पुराना नाम (शिल्पी शर्मा)	नया नाम (दीक्षा शर्मा)
	पुत्री—उमेश शर्मा, क्वाटर न. 85, नई कॉलोनी नं. 2, बिरला नगर, ग्वालियर (म.प्र.).
(G-1309)	

### नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र Ayansh Giri Goswami के शैक्षणिक दस्तावेजों में उसका नाम Ayan Goswami उल्लिखित है, जिसे हमने परिवर्तित कर Ayansh Giri Goswami कर दिया है. इस विज्ञप्ति के उपरांत उसे अपने नए नाम Ayansh Giri Goswami नाम आयुष से जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम (AYAN GOSWAMI)	नया नाम (AYANSH GIRI GOSWAMI)
	3, गली नं. 1, हिनोतिया, 80 फीट रोड, भोपाल (म.प्र.).
(G-1310)	

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है हमारी फर्म में प्राईम एसोसिएट (M/S PRIME ASSOCIATES) के नाम से एक भागीदारी फर्म है, जिसका पंजीयन क्र 04 / 17 / 01 / 0259 / 20, दिनांक 24-02-2020 है.

इस फर्म से दिनांक 20-06-2023 से दो भागीदार (1) डॉ. सचिन बत्रा पिता श्री संतलाल बत्रा, निवासी—वार्ड नं. 14, नई आबादी, स्टेट बैंक के पास, छिन्दवाड़ा, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) (2) उमेश कुमार अग्रवाल पिता श्री शंभुदयाल अग्रवाल, निवासी—वार्ड नं. 15, गांधी गंज, रेलवे स्टेशन के पास, छिन्दवाड़ा, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) शामिल हो रहे हैं. अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 20-06-2023 से संशोधन उपरांत छ: साझेदार रहेंगे.

(G-1311)	M/S PRIME ASSOCIATES, (किशोर कुमार सतीजा) पार्टनर,
----------	--

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है हमारी फर्म में आर. सी. एम. टावर्स (M/S RCM TOWER) के नाम से एक भागीदारी फर्म है, जिसका पंजीयन क्र. 04/17/01/00234/10, दिनांक 22-03-2010 है।

इस फर्म से दिनांक 31-03-2023 से एक भागीदार (1) श्री शोभित मिगलानी पिता श्री बलदेव मिगलानी, निवासी—न्यू एक्सटेंशन एरिया, गांधी गंज के पास, छिन्दवाड़ा, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) (2) श्रीमती सृष्टि मिगलानी पति श्री शोभित मिगलानी, निवासी—न्यू एक्सटेंशन एरिया, गांधी गंज के पास, छिन्दवाड़ा, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) निकल रहे हैं। अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 01-04-2023 से संशोधन उपरांत चार साझेदार रहेंगे।

M/S RCM TOWER,  
(सुनील मिगलानी)  
भागीदार,

(G-1312)

### नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती डोली पाल पत्नी स्व. श्री भीमसेन पाल, निवासी—बिजली घर के पास, पंडित जी का चौक, गोल पहाड़िया, लश्कर, ग्वालियर, मेरे पति भीमसेन पाल के नाम से भारतीय जीवन बीमा निगम, ग्वालियर की पॉलिसी है, जिसमें मेरा नाम नॉमिनी में श्रीमती मधु पाल लिखा हुआ है, जो कि मेरा पुराना नाम है, मेरे पति भीमसेन पाल का स्वर्गवास हो गया है, उनकी मृत्यु उपरांत मैं, उनकी विधवा पत्नी होकर वारिस व वैध उत्तराधिकारी व नॉमिनी हूँ, श्रीमती डोली पाल व मधु पाल दोनों ही नाम मेरे हैं। अतः मेरे आधार कार्ड व पेन कार्ड व बैंक खाता आदि में मेरा नाम डोली पाल ही लिखा हुआ है तथा मैं, अपने नये नाम डोली पाल के नाम से ही जानी—पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ भविष्य में मेरा यही नाम रहेगा।

पुराना नाम  
(मधु पाल)

नया नाम  
(डोली पाल)

(G-1313)

### नाम परिवर्तन

मैं, अनिल कुमार गोयल पुत्र स्व. श्री बद्रीप्रसाद गोयल सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी बीमा पॉलिसी नॉमिनेशन (उत्तराधिकारी) में मेरे पुत्र का घर का बोलता नाम दुर्गेश गुप्ता (DURGESH GUPTA) लिख गया है, जबकि मेरे पुत्र का नाम देव गोयल (DEV GOYAL) है और वर्तमान में मेरे पुत्र को देव गोयल के नाम से ही जाना—पहचाना एवं पुकारा जाता है, जो उसके आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण—पत्र, समग्र आईडी इत्यादि प्रपत्रों में लिखा गया है तथा भविष्य में भी मेरा पुत्र देव गोयल के नाम से ही जाना—पहचाना एवं पुकारा जाएगा। अतः मेरी बीमा पॉलिसी के नॉमिनेशन (उत्तराधिकारी) में मेरे पुत्र का नाम दुर्गेश गुप्ता के स्थान पर देव गोयल लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम  
(दुर्गेश गुप्ता)

नया नाम  
(देव गोयल)

पुत्र—अनिल कुमार गोयल,  
पता—वेयर हाउस रोड, अनिल बुक स्टोर,  
मुरैना (म.प्र.).

(G-1314)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अंकसूची, ड्राइविंग लाइसेंस में मेरा नाम पुष्टेन्द्र सिंह आ. श्री कमल सिंह अंकित है, जो कि सत्य एवं सही है. त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड व पेनकार्ड में मेरा नाम पुष्टेन्द्र सिंह राजपूत आ. कमल सिंह राजपूत अंकित हो गया है. उपरोक्त दोनों मेरे ही नाम हैं. प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय एवं अद्वशासकीय दस्तावेजों में मेरा नवीन नाम पुष्टेन्द्र सिंह आ. श्री कमल सिंह लिखा, पढ़ा, जाना व पहचाना जावे एवं भविष्य में मुझे मेरे सही नाम पुष्टेन्द्र सिंह के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम  
(पुष्टेन्द्र सिंह राजपूत)  
पिता—श्री कमल सिंह राजपूत

(G-1315)

नया नाम  
(पुष्टेन्द्र सिंह)  
पिता—श्री कमल सिंह ,

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि मैं, मंजू शारदा पति गिरीश कुमार शारदा (नया नाम) सूचित करती हूँ कि, मेरा पूर्व नाम माहेश्वरी मंजू उर्फ मंजू माहेश्वरी था जो की मेरे कई कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट पर माहेश्वरी मंजू दर्ज है एवं आईसीआईसीआई बैंक बचत खाता में मेरा नाम मंजू माहेश्वरी दर्ज है, जबकि मेरा वास्तविक नाम मंजू शारदा पति गिरीश कुमार शारदा है. अब मैं भविष्य में मंजू शारदा पति गिरीश कुमार शारदा नाम से जानी एवं पहचानी जाऊंगी. उपरोक्त दोनों नाम मंजू शारदा व नाम माहेश्वरी मंजू उर्फ मंजू माहेश्वरी एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे हैं.

अतः भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे नये नाम मंजू शारदा पति गिरीश कुमार शारदा के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं बोला जावे.

पुराना नाम  
(माहेश्वरी मंजू उर्फ मंजू माहेश्वरी)

(G-1316)

नया नाम  
(मंजू शारदा)  
19, गुमास्ता नगर, इन्दौर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि मैं, राज पटेल पति वरदान पटेल (नया नाम) सूचित करती हूँ कि, मेरा पूर्व नाम राजकुमारी नीमा पिता सुभाष चन्द्र नीमा था, जो की मेरे ड्राइविंग लायर्सेंस एवं पेन कार्ड पर दर्ज है व मेरे शेयर डी—मेठ अकाउंट पर भी यही नाम अंकित है, जबकि मेरा वास्तविक नाम राज पटेल पति वरदान पटेल है. अब मैं भविष्य में राज पटेल पति वरदान पटेल नाम से जानी एवं पहचानी जाऊंगी. उपरोक्त दोनों नाम राज पटेल व नाम राजकुमारी नीमा एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे हैं.

अतः भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे नये नाम राज पटेल पति वरदान पटेल के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं बोला जावे. सो विदित हो.

पुराना नाम  
(राजकुमारी नीमा)  
45, केसर बाग रोड, इन्दौर (म.प्र.)

(G-1317)

नया नाम  
(राज पटेल)  
राधेश्याम भवन, सुभाष नगर, सागर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

मैं, अनुपम गुप्ता पिता श्री जुगल किशोर गुप्ता निवासी—ग्राम व पोस्ट नरदहा, जिला पन्ना (म.प्र.) सूचित करता हूँ कि मेरे पांचवीं के शैक्षणिक रिकार्ड में पिताजी का नाम श्री जुगल किशोर दर्ज हो गया है, जबकि शैक्षणिक रिकार्ड में जुगल किशोर दर्ज हो गया है, जबकि उनका सही एवं वास्तविक पूरा नाम श्री जुगल किशोर गुप्ता है., अतः अब से मेरे सभी शैक्षणिक रिकार्ड में मेरा नाम अनुपम गुप्ता तथा पिताजी का नाम श्री जुगल किशोर गुप्ता माना जाए.

पुराना नाम  
(अनुपम गुप्ता)  
पिता—जुगल किशोर

(G-1318)

नया नाम  
(अनुपम गुप्ता)  
पिता—जुगल किशोर गुप्ता.

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स डिवाईन वेस्ट मेनेजमेंट एण्ड सर्विसेस, पंजीयन क्र. 03, / 27/03/00038/14, दि. 19-05-2014 है, जिसका पंजीकृत पता-51, पदमालय कॉलोनी, नियर विद्याया पैलेस, बंगर्धा, इंदौर (म.प्र.) है, जिसमें दिनांक 29-03-2023 को भागीदारी फर्म में संशोधन किया गया है, जिसमें श्री जगदीश चौहान द्वारा अपने निजी कार्यों के चलते उक्त फर्म से सेवानिवृत्ति ले ली है व आपसी सहमति से श्रीमति शांताबाई पति श्री तेजराम को नये भागीदार के रूप में फर्म में शामिल किया गया है साथ ही फर्म का व्यवसाय स्थल भी आपसी सहमति से परिवर्तित करते हुए नया व्यवसाय स्थल-72-सी, एयरपोर्ट रोड, कलानी नगर, इंदौर (म.प्र.) किया गया है।

मेसर्स डिवाईन वेस्ट मेनेजमेंट एण्ड सर्विसेस,

(मुकेश)

(भागीदार),

51, पदमालय कॉलोनी, नियर विद्याया पैलेस,

बंगर्धा, इंदौर (म.प्र.)

(G-1319)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण हेतु मैं JAS CHANDRAWANSI S/O SANJAY CHANDRAWANSHI निवासी—म.नं. 216, भारत नगर, जे.के. रोड, भोपाल (म.प्र.) पूर्व में मेरा नाम JAS CHANDRAWANSI S/O SANJAY CHANDRAWANSHI था, जिसे मैंने परिवर्तित करते हुए JAS CHANDRAWANSI S/O SANJAY CHANDRAWANSHI कर लिया है, जो सही एवं सत्य है। अतः भविष्य में मुझे JAS CHANDRAWANSI S/O SANJAY CHANDRAWANSHI से जाना एवं पहचाना जाये।

पुराना नाम

नया नाम

(JAS CHANDRAWANSHI)

(JAS CHANDRAWANSI)

(G-1320)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, तुलसी पुरी पिता श्री जमुना पूरी, पता—ई 1/90, अरेठा कॉलोनी, ई-1, हुजूर, भोपाल (म.प्र.) मेरे पुत्र नितिन पुरी गोस्वामी उर्फ चन्दन पूरी मध्यप्रदेश में निवासरत हैं। मेरे पुत्र का नाम जन्म प्रमाण—पत्र के अनुसार नितिन पुरी गोस्वामी है, जबकि आधार कार्ड में चन्दन पूरी अंकित है इसलिए आधार कार्ड व अन्य सभी शासकीय व अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में नाम परिवर्तित कर नितिन पुरी के नाम से जाना—पहचाना जावे।

आवेदक,

नितिन पुरी गोस्वामी (अव्यस्क),

अभिभावक पिता—तुलसी पुरी।

(G-1321)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, महाराज सिंह मीणा पिता श्री भगवान सिंह मीणा, पता—म.नं. 62, वार्ड नं. 16, गॉव कराघाटी, रायसेन (म.प्र.) अपनी पुत्री रोशनी मीणा उर्फ आरुषी मीणा मध्यप्रदेश में निवासरत हैं, मेरी पुत्री का नाम जन्म प्रमाण—पत्र के अनुसार रोशनी मीणा है, जबकि अन्य दस्तावेजों में आरुषी मीणा अंकित है, इसलिए अन्य सभी शासकीय व अर्द्धशासकीय दस्तावेजों एवं शैक्षणिक प्रमाण—पत्रों में नाम परिवर्तित कर रोशनी मीणा के नाम से जाना—पहचाना जावे।

आवेदक,

रोशनी मीणा (अव्यस्क),

अभिभावक पिता—महाराज सिंह मीणा।

(G-1322)

### नाम परिवर्तन

मैं, राजकुमार विश्वे आ. गोपीलाल, नि.-10, धोवी घाट गली, अहिरपुरा, बरखेड़ी, भोपाल (म.प्र.) का निवासी हूँ, मेरे शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में नाम राजकुमार विश्वे (RAJKUMAR VISHVE) है व अन्य शासकीय-अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम राजेंद्र शर्मा (RAJENDRA SHARMA) है। मैं, भविष्य में राजकुमार विश्वे (RAJKUMAR VISHVE) से नाम राजेंद्र शर्मा (RAJENDRA SHARMA) के नाम व सरनेम से जाना-पहचाना जाऊंगा।

पुराना नाम  
(राजकुमार विश्वे)  
(RAJKUMAR VISHVE)

(G-1323)

नया नाम  
(राजेंद्र शर्मा)  
(RAJENDRA SHARMA)

पता-14 धोवी वाली गली, अहिरपुरा,  
बरखेड़ी, भोपाल (म.प्र.).

### CHANGE OF NAME

We Mr. Pushpendra Yadav S/o J. P. Yadav and Mrs. Megha Yadav W/o Pushpendra Yadav, would like to legally Change name of our daughter mentioned below, Ms. Aahana Yadav (Aadhar No. 934772313369). To Aahana Shree, After the gazette notification, our daughter Ms. Aahana Yadav will be known and Called as Ms. Aahana Shree in all Government, Semi-Government, Public, Private and Educational documents.

Old Name  
(AAHANA YADAV)

(G-1324)

New Name  
(AAHANA SHREE)

### नाम परिवर्तन

मैं, निखिल शर्मा, उम्र 29 वर्ष पिता श्री रामसुशील शर्मा, निवासी-वार्ड नं. 5, म. न. पी.बी. 30, रेल्वे कॉलोनी, धनपुरी, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों में मेरा नाम निखिल शर्मा पिता श्री रामसुशील शर्मा लिखा हुआ है। मैं अपने नाम के आगे उपजाति शर्मा के स्थान पर त्रिपाठी लिखना चाहता हूँ अतः अब भविष्य में मुझे निखिल त्रिपाठी पिता श्री रामसुशील शर्मा के नाम से जाना एवं पहचाना जावे एवं भविष्य में मुझसे संबंधित दस्तावेजों में निखिल त्रिपाठी ही लिखा एवं पढ़ा जावे। उपरोक्तानुसार परिवर्तन से मेरे, माता, पिता, सगे संबंधी, रिश्तेदार आदि को कोई आपत्ति नहीं है।

पुराना नाम  
(निखिल शर्मा)

(G-1325)

नया नाम  
(निखिल त्रिपाठी)  
पुत्र श्री रामसुशील शर्मा

### नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती. पुष्पांजलि सोलंकी पत्नी श्री लोकेश मेरा पूर्व में नाम गुंजा बाई (GUNJA BAI) था जो मेरे आधारकार्ड अन्य डॉक्यूमेंट में दर्ज है एवं मेरी शादी के पश्चात् मेरे आधार कार्ड, वोटर आई डी एवं अन्य शासकीय अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम पुष्पांजलि सोलंकी (PUSHPANJALI SOLANKI) दर्ज कर मुझे पुष्पांजलि सोलंकी के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम  
(गुंजा बाई)  
(GUNJA BAI)

(G-1326)

नया नाम  
(पुष्पांजलि सोलंकी)  
(PUSHPANJALI SOLANKI)

निवासी-म. नं. 193, रुजी चौपाटी, गौतमपुरा,  
तहसील देपालपुर, जिला इंदौर (म. प्र.)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम उमाकांत परमार (UMAKANT PARMAR) पिता महेश परमार (MAHESH PARMAR) था, जो कि अब मैंने अपना नाम परिवर्तित करके शिवाय परमार (SHIVAY PARMAR) पिता महेश परमार (MAHESH PARMAR) कर लिया है। अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम  
 (उमाकांत परमार)  
**(UMAKANT PARMAR)**

नया नाम  
 (शिवाय परमार)  
**(SHIVAY PARMAR)**  
 S/o महेश परमार (MAHESH PARMAR)  
 पता—वार्ड नं. 04, सदर बाजार, क्षिप्रा, देवास (म. प्र.)

(G-1327)

### CHANGE OF NAME

I, Shri Satish Negi S/o Shri Ram Negi, My old name was mentioned as Sri Satish in army records and as Satish Negi in all documents like- Aadhar card, Pan card, Voter card, Bank passbook and other official documents which is my correct name (SATISH NEGI) I, hereby declare that I have changed my name as SATISH NEGI S/o Shriram Negi for all future purposes.

So, please remove title and add my surname therefore now and in future I will be known my new name.

Old Name  
**(SRI SATISH)**

New Name  
**(SATISH NEGI)**  
 S/o SHRIRAM NEGI  
 R/o-867/9, Nanda Nagar, Indore (M.P.)

(G-1328)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राधाबाई पत्नी श्री सूरज कुशवाहा, यह कि मेरे आधार कार्ड क्रमांक 730890940719 में मेरा नाम गुड़डी दर्ज है, जो गलत है, मेरा असली नाम राधाबाई है, एवं मेरे बैंक खाते में भी मेरा नाम राधाबाई पति सूरज कुशवाहा दर्ज है। अतः मेरे आधार कार्ड में नाम राधाबाई पति सूरज कुशवाहा दर्ज किया जावे।

पुराना नाम  
 (गुड़डी)

नया नाम  
 (राधाबाई कुशवाहा)  
 पता—पुरुषोत्तम नगर, सेमराकला, चांदबड़,  
 तहसील हुजूर, जिला भोपाल।

(G-1329)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित हो की मैं, विनोद कटारिया पिता श्री मोहनलाल कटारिया निवासी-548 काटजुनगर, रतलाम में निवासरत हूं मेरे दस्तावेज मार्कशिट आधार कार्ड, ड्रायविंग लाइसेन्स पहचान-पत्र, पासपोर्ट, पेनकार्ड आदि में उक्त नाम ही अंकित है किन्तु कुछ कागजात, शेयर केनरा बैंक, एस.बी.आई में विनोद पाटीदार अंकित हो गया है। अन्य किसी दस्तावेज में कहीं भी विनोद पाटीदार अंकित हो तो वहां पर मेरा सही नाम विनोद कटारिया ही पढ़ा जावे और सभी शासकीय अद्वशासकीय दस्तावेजों में विनोद कटारिया पिता श्री मोहनलाल कटारिया माना जावे।

पुराना नाम  
(विनोद पाटीदार)  
पिता श्री मोहनलाल पाटीदार

नया नाम  
(विनोद कटारिया)  
पिता श्री मोहनलाल कटारिया।

(G-1330)

### जाहिर सूचना

- मेसर्स SREE LAXMI CONSTRUCTION COMPANY, शाप नं. 2, शिव शक्ति काम्प्लेक्स रिंग रोड, इंदौर 452 001 भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन कमांक 03/27/01/0367/16 सन् 2015-16, दिनांक 21-03-2016 पर रजिस्टर्ड फर्म है। फर्म रजिस्ट्रेशन के समय (1) श्री प्रितिश दास पिता श्री खितिश चन्द दास 2. श्री खितिशन्द्र दास पिता श्री सुरेन्द्र चन्द्र दास 3. श्रीमती नीतू दास पति श्री प्रितिश दास फर्म के भागीदार थे। दिनांक 16-12-2017 को श्री खितिश चन्द्रजी दास का स्वर्गवास होने से उनकी भागीदारी स्वमेव समाप्त हो गई थी। दिनांक 17-12-2017 से हम (1) प्रितिशदास पिता श्री खितिशचन्द्र दास 2. श्रीमती नीतू दास पति श्री प्रितिशदास आपसी सहमति से, निष्पादित संशोधित पार्टनरशीप डीड (अ) के अनुबंधों के अधीन फर्म रजिस्ट्रेशन तिथि से श्री लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन कंपनी के निरंतर (चालू) भागीदारों के रूप में अपने कर्तव्य निर्वाह कर रहे हैं।
- दोनों भागीदारों की आपसी सहमति से दिनांक 17-12-2017 से फर्म के पूर्व पते- "शाप नं. 2, शिव शक्ति काम्प्लेक्स रिंग रोड, इंदौर 452 001" को परिवर्तित कर नया पता-286, सर्व सम्पन्न नगर, कनाडिया रोड, इंदौर, (म.प्र.) स्वीकृत किया गया है।
- कार्यरत दोनों भागीदारों की सहमति से निष्पादित संशोधित पार्टनरशीप डीड के अनुबंधों के अधीन श्री गौतमदास पिता श्री प्रितिशदास को उनकी सहमति से नये भागीदार के रूप में दिनांक 13-1-2023 को समिलित किया गया है।

(G-1331)

मेसर्स लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन कंपनी  
(प्रितिशदास)  
पार्टनर

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम मालती पति श्री विरेन्द्र सिंह मंडलोई था वर्तमान में परिवर्तित होकर मेरा नाम कल्पना मंडलोई पति श्री विरेन्द्र कुमार मंडलोई हो गया होकर मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

(G-1332)

पुराना नाम  
(मालती)

नया नाम  
(कल्पना)  
पति श्री विरेन्द्र कुमार मंडलोई  
निवासी-21 बी, रघवंशी कॉलोनी ए मरीमाता  
चौराहे के पास, इंदौर।

### नाम परिवर्तन

मैं, गिरीश गौतम S/o इन्द्रजीत गौतम, यह घोषित करता हूँ, कि मैं, अपना नाम गिरीश कुमार गौतम S/o इन्द्रजीत गौतम परिवर्तित करा लिया है। अतः अब से और भविष्य में, मैं, गिरीश कुमार गौतम के नाम से जाना जाऊँगा।

पुराना नाम  
(गिरीश गौतम)

नया नाम  
(गिरीश कुमार गौतम)  
S/o इन्द्रजीत गौतम  
ग्राम—मरवा, पो. चंदई, जिला सतना, (म.प्र.).

(G-1333)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड में ब्रूटिवश प्रशांत के अंग्रेजी शब्दों में PRASANT दर्ज हो गया है मेरा सही नाम दसवी की अंकसूची में दर्ज है अतः मेरे आधार कार्ड में अंग्रेजी शब्दों में PRASANT को संशोधित कर सही नाम PRASHANT लिखा पढ़ी एवं दर्ज किया जाए।

पुराना नाम  
(प्रशांत)  
**(PRASANT)**

नया नाम  
(प्रशांत)  
**(PRASHANT)**  
निवासी—चांवलपानी, तहसील तामिया  
जिला छिन्दवाडा (म.प्र.).

(G-1334)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का वर्तमान नाम रागिनी है जो कि उसके जन्म प्रमाण—पत्र आदि दस्तावेजों में दर्ज है। मैं, अपनी पुत्री का नाम रागिनी के स्थान पर जानवी किरार रख रहा हूँ भविष्य में मेरी पुत्री नाम रागिनी के स्थान पर जानवी किरार पिता धर्मेन्द्र किरार एवं माता नीतू किरार के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा जावे व सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे।

प्रेषक  
(धर्मेन्द्र किरार)  
पता—ग्राम जिगसोली, जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1335)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पुराना नाम जनकदुलारी पति दिनेश प्रसाद उपाध्याय जो ग्राम बिहरिया टोला वार्ड क्रमांक 15 रामपुर नैकिन थाना व तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म.प्र.). तथा अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक खाते इत्यादी में मेरा नाम जनकदुलारी पति दिनेश प्रसाद उपाध्याय दर्ज है तथा मैंने अपना नया नाम ग्रहण कर लिया है अतः मुझे सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यों एवं दस्तावेजों में मेरे नये परिवर्तित नाम जनकदुलारी उपाध्याय पति दिनेश प्रसाद उपाध्याय से जाना एवं पहचाना एवं उपयोग किया जावे आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

पुराना नाम  
(जनकदुलारी)  
पति दिनेश प्रसाद उपाध्याय  
(G-1336)

नया नाम  
(जनकदुलारी उपाध्याय)  
पति दिनेश प्रसाद.

**न्यायालयों की सूचनाएं**  
**न्यायालय, श्रीमान् पंजीयक महोदय, पब्लिक ट्रस्ट छतरपुर, मध्यप्रदेश**

प्र. क्र. 1-बी-113-2022-23

अशोक कुमार पटैरिया एवं अन्य. . . . .

न्यासीगण

बनाम

शासन मध्यप्रदेश द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय छतरपुर एवं अन्य. . . . .

..... अनावेदकगण

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (वर्ष-1951) एवं

नियम-51 (म) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट 1962 के अन्तर्गत नोटिस,

1. जिलाध्यक्ष महोदय जिला छतरपुर म.प्र. प्रबंधक
2. अशोक कुमार तनय स्व. नर्वदा प्रसाद पटैरिया
3. जगेन्द्र कुमार सिंह तनय स्व. विजय बहादुर सिंह
4. रमेश कुमार तनय स्व. ज्ञान चन्द चौरसिया
5. राजेश तनय अवध बिहारी रावत
6. रामस्वरूप तनय स्व. सुन्दरलाल तिवारी
7. राधेश्याम तनय स्व. ग्यासीलाल बिलैया
8. लक्ष्मन सिंह तनय स्व. हीरा सिंह
9. विश्वनाथ तनय सरमनलाल गुप्ता
10. प्रेमनारायण तनय घनश्याम साहू
11. राजेश कुमार तनय बाबूलाल गुप्ता
12. विष्णु प्रकाश तनय ठाकुरदास नामदेव
13. राजकुमार तनय रामसेवक रावत
14. पियूष उर्फ पवन तनय रामसेवक गुप्ता
15. रविकांत तनय जुगल किशोर असाटी
16. चतुर सिंह तनय मंगल सिंह
17. महेन्द्र तनय बाबूलाल मिश्रा
18. नरेन्द्र कुमार तनय स्व. शंकर प्रसाद रिछारिया
19. अमित कुमार उर्फ राज तनय मोतीलाल गुप्ता
20. संदीप तनय के. के. मिश्रा
21. रमेश कुमार तनय स्व. हीरालाल असाटी
22. वीरेन्द्र तनय रामसेवक अग्रवाल
23. भगवानदास तनय स्व. रामचरण मिश्रा
24. कृष्णवीर तनय रणविजय सिंह चौहान

अशोक कुमार पटैरिया वगैरह सदस्यगण निवासीगण चेतागिर कालोनी, छतरपुर, तहसील व जिला छतरपुर, (म.प्र.) द्वारा चेतागिर हनुमान मंदिर, लोक न्यास, छतरपुर, जिला छतरपुर पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (वर्ष 1951) की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई गई सार्वजनिक संपत्ति की व्यवस्था हेतु पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयत किये जाने के वास्ते आवेदन-पत्र किया है। इसलिये सार्वजनिक जानकारी हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त आवेदन-पत्र मेरे द्वारा मेरे न्यायालय में दिनांक 24-07-2023 को 11 बजे सुनवाई की जावेगी।

जो भी व्यक्ति उपरोक्त ट्रस्ट में अथवा अनुसूची में दर्शाई संपत्ति में हित रखते हों या कोई अन्य सुझाव देना चाहते हों तो अपना जवाब दावा दो प्रतियों में इस नोटिस के जारी होने के दिनांक के 30 दिवस के अंदर मुझ इश्तहारी के समक्ष उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 22-6-23 को मेरे हस्ताक्षर व मुद्रांक से जारी।

संलग्न :— अनुसूची

चेतगिर हनुमान मंदिर लोक न्यास, छतरपुर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश  
चल संपत्ति की सूची

1.	घण्टा—	08 नग
2.	विमान—	01 नग
3.	तखत—	01 नग
4.	बक्सा	02 नग
5.	फर्श—	05 नग
6.	पंखा—	06 नग
7.	मशीन आरती ऑटोमेटिक	01 नग
8.	हारमोनियम—	01 नग
9.	माइक—	01 नग
10.	मजीरा—	02 नग
11.	दानपेटी—	01 नग
12.	झूला—	01 नग
13.	आरती—	01 नग
14.	जोत—	02 नग
15.	झालर पीतल—	04 नग
16.	शंख—	01 नग
17.	राशि—	23,000/- रुपये

(G-1337)

बलबीर रमण, रजिस्ट्रार

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास, जिला डिण्डौरी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डिण्डौरी, मध्यप्रदेश  
क्र. प्रवा.1—अ.वि.अ.—1875

डिण्डौरी, दिनांक 28 जून 2023

प्रारूप—4

[नियम 5(1) देखें]

[मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) (1951 का 30) और मध्यप्रदेश / छत्तीसगढ़ लोक न्यास, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी के समक्ष श्री हरिनारायण खैरवार (अध्यक्ष) पुत्र स्व. मोहनलाल, निवासी—वार्ड नम्बर 02, सुबखार, डिण्डौरी, तहसील व जिला डिण्डौरी, ने मध्यप्रदेश / छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951

(1951 का 30) की धारा (4) के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये गायत्री परिवार ट्रस्ट डिण्डोरी के लिये सार्वजनिक न्यास पंजीयन हेतु आवेदन लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये किया है, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन 2022 के दिनांक 28-7-2023 पर मेरे द्वारा न्यायालय में विचारण में लिया जाएगा।

अतः, मैं, जिला डिण्डोरी के लोक न्यासों का रजिस्ट्रार अपने न्यायालय में दिनांक 28-8-2023 को उक्त अधिनियम, की धारा (1) के द्वारा आपेक्षित जांच करने की प्रस्थापना करता हूँ, किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए उक्त न्यास या सम्पत्ति के मामले में हित रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिगत अथवा वकील द्वारा या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार नहीं किया जाएगा।

(G-1338)

रामबाबू देवांगन, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड मंदसौर,  
जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश

प्र. क्र. 04-बी-113(1)-23-24

मंदसौर, दिनांक 27 जून 2023

नियम चार

[नियम 5(1) देखें]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2)  
और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिये]

पंजीयक, लोक न्यास, मंदसौर, जिला मंदसौर के समक्ष  
श्री लक्ष्मीनारायण बड़ा मंदिर सेवा ट्रस्ट, सरसौद, जिला मंदसौर (म.प्र.)

चूंकि, श्री लक्ष्मीनारायण बड़ा मंदिर सेवा ट्रस्ट, सरसौद, जिला मंदसौर, म.प्र. द्वारा धमेन्द्र सिंह पिता बृजराजसिंह पंवार निवासी—ग्राम सरसौद, जिला मंदसौर (म.प्र.) ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) धारा 4 के अधीन अनुसूची ने लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 10-7-2023 को विचार में लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना, लोक न्यास है और उसका गठन करता / करती है।

अतः, शिवलाल शाक्य, पंजीयक, लोक न्यास, मंदसौर, जिला मंदसौर का लोक न्यासों का पंजीयक, न्यायालय में दिनांक 10-7-2023 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा आपेक्षित करना प्रस्तावित करता हूँ। अतः, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिशः अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अब समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों का विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा।

## संपत्ति का विवरण

(अ) अचल संपत्ति	—	निरंक
(ब) चल संपत्ति	—	जिला सहकारी कैन्सीय बैंक मर्यादित, मंदसौर के खाता क्रमांक 162015611708 में जमा राशि 451025/- लगभग.

(G-1339)

शिवलाल शाक्य, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास अनुभाग राऊ-इंदौर, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश

क्र. 292-री.राऊ-2023

इंदौर, दिनांक 22 जून 2023

(फार्म-चार)

आवेदक सुरेशचन्द्र सोहनी पिता श्री शिवनारायण सोहनी निवासी-146-बी, वैशाली नगर, इन्दौर द्वारा “नार्मदीय ब्राह्मण मंडल न्यास इन्दौर” पता-88, मिश्र नगर मनी आर्केड, प्रथम मंजिल प्रकोष्ठ नं. 101, अन्नपूर्णा रोड, तालाब के सामने, इन्दौर लोक न्यास के पंजीयन हेतु म.प्र. प्रदेश लोक न्यास अधिनियम की धारा 4 के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदन पत्र के संलग्न राशि रुपये 5/- का चालान एवं ट्रस्ट डीड एचं शपथ-पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गई।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अन्दर इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विवार नहीं किया जावेगा।

## परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	“नार्मदीय ब्राह्मण मंडल न्यास, इन्दौर”
पता :-	पता-88, मिश्र नगर मनी आर्केड, प्रथम मंजिल प्रकोष्ठ नं. 101, अन्नपूर्णा रोड तालाब के सामने, इन्दौर
अचल संपत्ति	ट्रस्ट डीड अनुसार
चल संपत्ति	ट्रस्ट डीड अनुसार

आज दिनांक 22-6-23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(G-1340)

विजय कुमार मण्डलोई, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी।

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, टी.टी. नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश

प्र. क्र. 06—बी—113—2022—23

प्रारूप—4

[नियम 5(1) देखें]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2)  
और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5(1) के अंतर्गत]

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, टी.टी. नगर, भोपाल जिले के समक्ष

चूंकि श्री हरिमोहन गुप्ता आ. स्व. श्री गुरुदेव गुप्ता निवासी—म.नं.—01, सौभाग्य निलय, केरवा डैम रोड, मैडोरी, भोपाल म0प्र0 ने लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा—के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 12—07—2023 को विचार के लिए लिया जावेगा।

अतः मैं, अनुविभागीय अधिकारी, एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, टी.टी. नगर, भोपाल का श्री राज राजेश्वरी त्रिपुर सुन्दरी सेवा न्यास (ट्रस्ट), भोपाल लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 12—07—2023 को उक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है, और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा।

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम		श्री राजराजेश्वरी त्रिपुर सुन्दरी सेवा न्यास (ट्रस्ट), भोपाल, (म.प्र.)
2. अचल संपत्ति	—	निल
3. चल संपत्ति	—	निल

आज दिनांक 16—6—23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

(G-1341)

संतोष कुमार बिटोलिया, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार।

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, तहसील कोलार,  
जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

प्र. क्र. 0003-बी-113-2023-24

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक  
ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

जैसा कि आवेदकगण 1. श्री शिव शेखर शुक्ला, प्रभुख सचिव, (मोप्रो शासन संस्कृति विभाग) 2. श्री अदिति कुमार त्रिपाठी, संचालक, (संस्कृति संचालनालय), शिवाजी नगर (रेडक्रास अस्पताल के पीछे), 462016 द्वारा "श्रीरामचन्द्र पथगमन न्यास" न्यास कार्यालय "संस्कृति संचालनालय, शिवाजी नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश" का पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है।

एतदद्वारा, सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 03-08-2023 को विचार में लिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के "एक माह" के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है। उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम

"श्रीरामचन्द्र पथगमन न्यास"

2. चल संपत्ति

पता—संस्कृति संचालनालय, शिवाजी नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश

3. अचल संपत्ति

निरंक.

निरंक

आज दिनांक 03-07-23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

(G-1342)

क्षितिज शर्मा, रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी।

न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, झांसीरोड, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

प्र. क्र. 01-बी-113(1)-21-22

ग्वालियर, दिनांक 24 मई 2023

प्रारूप-4

[देखें नियम 5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 05 की उपधारा (2) और  
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]

यह कि "द हैप्पीनेस फाउण्डेशन ट्रस्ट" आवेदक श्री हेमत निगम पुत्र स्व. श्री विष्णु चन्द्र निगम निवासी 51, गंगा विहार परिसर करौली माता मंदिर, महलगांव, जिला ग्वालियर ने मप्र, लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा - 04 के अंतर्गत एक आवेदन—पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन

किया है एतद्वारा सूचना—पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 14—06—2023 को मेरे न्यायलय में विचार में लिया जावेगा।

अतः अधोहस्ताक्षरी अपने न्यायालय में दिनांक 14—06—2023—को उक्त अधिनियम की धारा 05 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करनी प्रस्थापित करता हैं।

एतद्वारा, सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये, कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना—पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

**अनुसूची**  
(लोक न्यास का नाम पता व संपत्ति का विवरण)

1. न्यास
2. न्यास की चल संपत्ति—
3. न्यास की अचल संपत्ति—

आज दिनांक 24—05—23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(G-1343)

चन्द्र भूषण प्रसाद, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी,

इसे वेबसाइट [www.govtprint.nic.in](http://www.govtprint.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजापत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 जुलाई 2023—आषाढ़ 23, शक 1945

### भाग ३ ( २ )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

( कुछ नहीं )